



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0013

Date (दिनांक): 21/07/2026

18:52

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/07/2026 **Time (समय):** 18:23 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Time (समय):** 21/07/2026 18:23 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 85 Km Beat No. (बीट सं.):
(s)
(b) Address (पता):
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): अंकुश कुमार
- (b) Father's Name (पिताका नाम): नरेश कुमार
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2002 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) Occupation (व्यवसाय):
- (h) Address
(पता):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गाँव बडियाल पट्टी बाता, जिला कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गाँव बडियाल पट्टी बाता, जिला कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	संदीप LDC		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल तहरीर जेल है :-

सेवा में,

इस्पेक्टर साहब

विजीलेंस अम्बाला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं अंकुश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी बडियाल पट्टी बाता जिला कैथल का रहने वाला हूँ। मेरे छोटे भाई अमन कुमार ने उज्ज्वल भारत सोलर पावर के नाम से फर्म बनाई हुई है। जिसका प्रोपराईटर मेरा भाई अमन कुमार है। यह फर्म मई 2026 से रजिस्टर्ड है। इस फर्म की कागजी कारवाई मैं ही करता हूँ। हमारी फर्म का कार्य आम व्यक्तियों के घरों पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगाने का कार्य है। मैंने पवनदीप कौर पत्नी कर्मजीत सिंह निवासी सौथा जिला कैथल व राधेश्याम पुत्र मोहरू राम निवासी गोहरा जिला कैथल के घरों पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगाई है। जिनकी फाईल तैयार करके बिजली बोर्ड सीवन में जमा करवाने बाद ही हमारे उपभोक्ता की फाईल पास होकर मीटर लगता है। मैं आज हमारे फर्म के द्वारा किये गये कार्य की दो फाईले तैयार करके बिजली विभाग सीवन में जमा करवाने के लिये गया था। वहाँ पर मुझे संदीप LDC बिजली विभाग सीवन मिला। जिसने मेरे से फाईल लेने के बाद कहा कि इसमें दस्तावेज पूरे नहीं हैं। फाईल पूरी नहीं है। मैंने इसके बाद कहा कि देख लो जनाब। उसके बाद संदीप LDC मुझे उसके आफिस से बाहर ले गया और कहने लगा कि ऐसे कार्य नहीं होगा। एक फाईल के 2500/- रुपये देने होंगे। जिसमें से मैं तो एक हजार रुपये लूँगा और SDO 1500/- रुपये लेगा। मैंने कहा कि मेरा काम जल्दी करवा दो। रुपये तो ज्यादा है। संदीप LDC ने कहा कि मैं मेरे छोड़ दूँगा पर SDO से फाईल तुने खुद निकलवानी होगी। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। आपकी दो फाईलो के पाँच हजार बनते हैं। फिर मैंने कहा कि मैं तो आपको जानता हूँ। आप ही मेरा काम करवा दो और आप एक हजार रुपये अब ले लो बाकी फिर शाम को दे दूँगा। संदीप LDC ने कहा कि सारे बाद में दे देना। मैं संदीप LDC को 5000/- रुपये रिश्त राशि नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं संदीप LDC को रिश्त राशि नहीं दूँगा तो वह मेरी उपभोक्ताओं की



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

फाईलो को पास नहीं करेगा । मैं संदीप को रिश्त राशि लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ । मेरे पास संदीप LDC की रिकार्डिंग भी है , जिसको मैं आपको बाद में पेश कर दूँगा । आपसे निवेदन है कि संदीप LDC के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए ।

-sd- अग्नेजी ANKUSH KUMAR

प्रार्थी

अंकुश कुमार S/O नरेश कुमार

गाँव बडियाल पट्टी बाता

MOB. 98127-84819

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 21.07.2026 को मन निरीक्षक मय स्टाफ हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मंडल अम्बाला था कि मेरे मोबाईल नम्बर 9416483386 पर 98127-84819 से फोन आया जिसने अपना नाम अंकुश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी बडियाल पट्टी बाता जिला कैथल बतलाया और उसने कहा कि सरकारी कार्य करवाने की एवज में उससे रिश्त की मांग की जा रही है । जिस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी पर रेड करवाना चाहता है । जिस पर मैंने अंकुश को अम्बाला रोड पर थाना टोल के पास ग्रीनवैली होटल में आने बारे कहा । मन निरीक्षक मय SI रघुबीर सिंह नं. 91/पंचकुला, ASI देवेन्द्र नं. 504/कैथल, ASI सुनिल कुमार 2/87 बा सवारी गाडी सरकारी नं. HR03GV-1644 जिसका चालक ASI बीरबल नं. 1368/करनाल के साथ ग्रीन वैली होटल पर पहुँचा । जहाँ पर कुछ समय बाद शिकायतकर्ता अंकुश कुमार हाजिर आया । जिसने एक हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की और शिकायतकर्ता ने रिकार्डिंग जिसमें शिकायतकर्ता व सरकारी कर्मचारी के बीच रिश्त से सम्बन्धित बाचतीच को सुनाया । जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मेरी हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500/500रूपए के 10 अदद् करेन्सी नोट मुबलिक 5000/- रूपए मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई । फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता अंकुश कुमार ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश व्हटसअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री गुरविन्द्र सिंह कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कैथल से सम्पर्क किया गया और हालात



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक रा.सत. एवं भ.नि.ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर ग्रीन वैली होटल अम्बाला रोड नजदीक थाना टोल के पास आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबूत से , रिकार्डिंग सुनने से संदीप LDCबिजली विभाग सीवन जिला कैथल के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC ACT1988 का सरजद होना पाया गया। इसी समय ASI सेवती राम नं. 308/कैथल हाजिर आया है। मन निरीक्षक मय स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87, स.उ.नि. सेवती राम न. 308/KTL, ASI देवेन्द्र नं. 504/कैथल बा सवारी गाडी सरकारी नं. HR03GV-1644 जिसका चालक ASI बीरबल नं. 1368/करनाल व गाडी प्राईवेट तथा तफतीशी बैग, लैपटाप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त SI रघुबीर सिंह 91/ पंचकुला के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग नम्बर अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कैथल को बजरिया ईमेल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए।

स्थान – ग्रीनवैली होटल नजदीक थाना टोल प्लाजा

-sd-अग्रेजी Dalbir singh

निरीक्षक (दलबीर सिंह)

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

अम्बाला मंडल अम्बाला ।

दिनांक 21.07.2026

समय – 4.00 PM

अज थाना :- इस समय एक टाईशुदा लेख उपरोक्त निरीक्षक दलबीर सिंह रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो अम्बाला बर दरखास्त अंकुश कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी बडियाल पट्टी बाता जिला कैथल बर खिलाफ संदीप LDCबिजली विभाग सीवन जिला कैथल बाजूर्म 7, PC ACT 1988 का होना पाया जाने पर बादस्त उप नि. रघुबीर सिंह न. 91/पंचकुला के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 13 दिनांक 21.07.2026 धाराधीन 7, PC ACT 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट बजरिया ई.मेल सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल भेजी जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

हेतू आने वाले उप नि. रघबीर सिंह न. 91/पंचकुला के द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा में बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक राजेश कुमार न. 71/HAP थाना रा0चौ0 एवं भ्र0नि0व्यूरो अम्बाला की हाजिरी में दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। ले.

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या) Rank (पद): I (Inspector)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

Dalbir Singh

No. (सं.): 97KNL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919416483386

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

- (4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान)

Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy
Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट